

नवांकुर सखी यात्रा से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश



विजयपुर (निज संवाददाता)। ग्राम किंजरी ब्लॉक विजयपुर में नवांकुर संस्थाकोशिकी सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी गसवानी के द्वारा-मध्य प्रदेश जन अभियान राज्य कार्यालय के निदेशन पर जिला समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह एवं ब्लाक समन्वयक श्रीमति नीतू सिंह गीतम के आदेशानुसार सेक्टर गसवानी विकासखंड विजयपुर अंतर्गत नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन नवांकुर संस्था गसवानी के सेक्टर क्रमांक 05 गसवानी विजयपुर के ग्राम किंजरी में नवांकुर सखी हरियाली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत किजरी के सरपंच श्री धर्मेन्द्र आदिवासी जी खरू स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री जसमंग धकड़ जी कोशिकी सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट सोसायटी के सचिव श्री दिलीप तिवारी जी अध्यक्ष श्री दुर्गेश गोस्वामी जी प्रस्तुतन समिति का अध्यक्ष श्री बौरू शर्मा जी सचिव श्री दीपक गोस्वामी ,परामर्शदाता राकेश जाटव तथा गसवानी क्षेत्र की समस्त आगनवाड़ी कार्यक्रम एवं ग्रामीण महिला पुरुष तथा स्कूल की छात्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे । कार्यक्रम का शुभारंभ

ग्राम खरू स्कूल में किया गया । यहां पर मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती की छाया प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कन्या पूजन रोली का तिलक लगाकर एवं कलश पूजन कर यात्रा का आगोजन किया गया इसके पश्चात सभी नवांकुर सखियों को तिलक लगाकर उनके सिर पर कलश रख कर यात्रा निकाली गई । यह यात्रा ग्राम किजरी के खरू हुए एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख मार्गों से होती हुई डू/ह्वा एवं श्व/ह्वा स्कूल पर पहुंची इस यात्रा में नवांकुर सखियां अपने सिर पर कलश रखे हुए एवं पर्यावरण संरक्षण के गीत एवं भजन गाते हुए चल रही थी , साथ में देशभक्ति के नारे भी समिति के पदाधिकारी लगा रहे थे ,जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे ,इस यात्रा के माध्यम से ग्राम वासियों को नवांकुर सखियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव जागृत करने का संदेश दिया गया । यात्रा अर्पित किया गया ,यहीं पर नवांकुर सखियां एवं यात्रा में सहभागी समुदाय के साथ बैठक में नवांकुर संस्था के संचालक श्री दिलीप तिवारी जी नवांकुर सखी यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया

कि यह यात्रा नारी शक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है महिलाएं जब पर्यावरण से जुड़ी हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है यात्रा में वितरित पौधों को घर आंगन में लगाकर उनकी देखभाल बच्चों की तरह करें तभी इस अभियान की सफलता है । जन अभियान परिषद द्वारा चलाए जा रहे हरियाली यात्रा कार्यक्रम में नारी शक्ति के माध्यम से सुरक्षित आधार पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ा बढ़ावा देने वाली सराहनीय मुहिम है ।इस अवसर पर बोलते हुए सरपंच श्री धर्मेन्द्र आदिवासी द्वारा बताया कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित करने का संकल्प है । परामर्शदाता राकेश जाटव व प्रस्तुतन समिति बड़ौदा कला अध्यक्ष श्री महेंद्र परिहार के द्वारा कहा गया वृक्ष हमें प्राणवायु , छाया , फल , औषधि और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, इसलिए पौधापोषण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की निरंतर देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है । आज दिए गए पौधों को आप अपने घर पर ले जाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर प्रचार -प्रसार करें । इस कार्यक्रम में परामर्शदाता राकेश जाटव व प्रस्तुतन समिति के अध्यक्ष वीरू शर्मा एवं बड़ी संख्या में गांव के युवा तथा नवांकुर सखियां उपस्थित रही । कार्यक्रम के अंत में नवांकुर सखी अभियान के अंतर्गत सभी नवांकुर सखियों को 21- 21 पौधों का वितरण किया गया । तथा अतिथियों की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया । अंत में प्रसाद वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया आभार प्रदर्शन दुर्गेश गोस्वामी द्वारा किया गया।

संस्था द्वारा तिरंगा यात्रा ब दहेज प्रथा एवं दांडी मार्च पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन

गुना। (निज संवाददाता)। संस्था रचित युवा मंडल राधोगढ़ जिला गुना के द्वारा संस्कृति संचालय भोपाल मध्य प्रदेश के सहयोग से 14 अगस्त 2026 को तिरंगा यात्रा निकाली गई एवं संस्था कार्यालय सांड कॉलोनी राधोगढ़ माता मंदिर के परिसर में 15 अगस्त 2026 को संस्था के अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रीय गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया उसके उपरांत सांड कॉलोनी के बच्चों बेटा एवं बेटियों द्वारा दहेज प्रथा दांडी मार्च राष्ट्र गीत देशभक्ति पर नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री विष्णु पाराशर जी रहे विशिष्ट अतिथि समाज सेवी ब मंदिर के पुजारी श्री मिर्दू महाराज जी एवं अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री प्रबल व्यास जी ने की मंच का संचालन संस्था सचिव श्री सोमिन तिवारी ने किया कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती जी एवं माता मंदिर में दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया उसके बाद अतिथियों एवं कलाकारों का माल्यार्पण कर उसके बंधन अभिनंदन किया गया उसके बाद छात्र एवं छात्राओं व कलाकारों



द्वारा लोक गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया जिसमें दहेज प्रथा के प्रति संदेश दिया गया उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च (नमक सत्याग्रह) इस अवसर पर युवाओं को आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण विरोध का महत्व समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हैरिटेज वांक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महोदय श्री पाराशर जी द्वारा

लोगों को अवगत कराया कि हमें दहेज प्रथा से बचना चाहिए विशिष्ट अतिथि महोदय श्री पुजारी जी द्वारा बताया गया की संस्था हमेशा मंदिर परिसर में कार्यक्रम करती रहती है और हम संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं संस्था अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस हार्दिक बधाई दी एवं बच्चों ने जो कार्यक्रम किया इससे लोगों को

सोख भी मिली और अपेक्षाएं राखी के बच्चे ऐसे ही साथ देते रहें को संस्था अच्छे कार्यक्रम और भी कराएंगे उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी बच्चों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार वितरण किए गए कोषाध्यक्ष महोदय जी ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया उसके बाद सभी लोगों को स्वल्पाहार वितरण किया गया व मुख्य अतिथियों का सोल श्रीफल देकर आभार व्यक्त किया गया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में सटे के खिलाफ कार्यवाही केते हुये अलग-अलग स्थानो से दो आरोपियो को सट्टा खिलवाते हुये धर दबोच कर सट्टा अंक पर्चियाँ व 4430 रु. जप्त किये किये



शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया जी के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों, जुआ एवं सट्टा के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करते हेतु आदेशित किया गया है, जिसके पालन

में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन कुमार धुवे के मार्ग निर्देशन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे द्वारा टीम गठित की गयी जो टीम द्वारा दिनांक 18.08.26 को थाना कोतवाली क्षेत्र में छापामार कार्यवाही करते हुये अलग अलग स्थानो कालीमाता मंदिर के पास

मनियर रोड से आरोपी करन पुत्र मोहन उम्र 31 साल नि० टोंगार रोड फतेहपुर को पकड़ आरोपी से 2 सट्टा अंक पर्ची एक डोट व 950रु. जप्त किये एवं रैन बसेरा के पास बस स्टण्ड शिवपुरी से आरोपी हर्ष पुत्र कैलाश उम्र 21 साल नि० फतेहपुर को पकड़ आरोपी से 2 सट्टा अंक पर्ची एक डोट व 3480रु. जप्त किये आरोपीगण से कुल 4430रु. जप्त किये बाद आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र. 639/26, 640/26 धारा 4क सट्टा अधिनयम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया सट्टा खिलवाने वालो के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

सरहनीय भूमिका:- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक रोहित दुबे, प्र.आर. 348 नाबालाल नारार, प्र. आर. 806 रविकुमार की भूमिका रही।

eHRMS में ई-अटेंडेंस के विरोध में आज से कलम बंद हड़ताल करेंगे कृषि विस्तार अधिकारी...

शिवपुरी (निज संवाददाता) म.प्र. कृषि विस्तार अधिकारी संघ, जिला इकाई शिवपुरी ने अपनी विभिन्न मांगों और द्वािक्स् प्रणाली में लागू की जा रही ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में कलमबंद कार्य बहिष्कार का ऐलान किया



है। संघ द्वारा 17 अगस्त 2026 से 20 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उप

संघ की प्रमुख मांगों: ई-अटेंडेंस से राहत: eHRMS प्रणाली के तहत लागू की जा रही अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रक्रिया को तत्काल समाप्त किया जाए।

ग्रेड-पे में वृद्धि: कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 ग्रेड-पे का लाभ प्रदान किया जाए।

भत्ते में बढ़ोतरी: अतिरिक्त केंद्र का कार्यभार संभालने पर मिलने वाले वर्तमान 500 के स्थान पर 75,000 प्रति माह भत्ता दिया जाए।

संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक, अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगा तथा शासन के नियमों का पालन किया जाएगा।

शिवपुरी में यातायात पुलिस द्वारा आज हैप्पी डेज स्कूल में यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया

शिवपुरी (निज संवाददाता) शिवपुरी जिसमें छात्रों को यातायात नियमों, रखीर योजना, ट्रेड एंड रन योजना एवं पीएम राहत योजना के बारे में जानकारी दी गई।

छात्रों को हेलमेट की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। वर्ष 2025 में शिवपुरी जिले में बिना हेलमेट धारण किए हुए दो पहिया वाहन चालकों की 410 सड़क दुर्घटना में 67 लोगों की मौत हो गई एवं शिवपुरी जिले में 1 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक कुल 223 सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट धारण किए हुए 61 लोगों की मौत हो गई।

यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। छात्रों को आंकड़ों सहित हेलमेट की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई एवं उन्हें हेलमेट धारण करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, हैप्पी डेज की डायरेक्टर श्रीमती गीता जी दीवान, प्रिंसिपल अंजू शर्मा एवं समस्त छात्र उपस्थित थे।



शिवपुरी कलेक्टर ने किया करैरा क्षेत्र के ग्राम थनरा और दबरा सहित विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण...

जनजातीय बस्ती में सुनी समस्याएं, समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष कैंप लगाने के निर्देश
उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी में मिली गंभीर खामियां; सीएचओ व कार्यकर्ता को हटाने के निर्देश

शिवपुरी (निज संवाददाता)। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज विकासखंड करैरा के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा जनसुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने संबंधितों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक एवं सुधारत्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने ग्राम दबरा (दिनारा) स्थित जनजातीय बस्ती का पैदल भ्रमण कर जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बस्तीवासियों के बीच बैकवर्ड उनसे सीधा संवाद किया तथा बिजली, पेयजल, राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित समस्याएं सुनीं। मौके पर ही जनसमस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने तत्काल पटवारी को स्थल पर बुलवाया और फौती



महिलाओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण, आरबीएसके स्वास्थ्य शिविर के आयोजन तथा बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को मौके पर आकर ग्रामीणों को जागरूक करने एवं तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बस्ती क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों की शिकायत पर सज्जान लेते हुए उन्होंने आवकारी अधिकारी को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसमस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण हेतु उन्होंने

नामां रण, किसान समान निधि, पेंशन तथा राशन जैसी सुविधाओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों व अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण, आरबीएसके स्वास्थ्य शिविर के आयोजन तथा बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को मौके पर आकर ग्रामीणों को जागरूक करने एवं तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बस्ती क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों की शिकायत पर सज्जान लेते हुए उन्होंने आवकारी अधिकारी को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसमस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण हेतु उन्होंने

हाथ में जूते, पैरों में कीचड़... शिक्षक बोले- ‘लेट क्यों होते हो बेटा?’ वार्ड-1 बछेरा में सड़क बनी बच्चों की रोज की परीक्षा

शिवपुरी (निज संवाददाता) शहर के वार्ड नंबर 1 बछेरा में बारिश के दिनों में सड़क की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालात यह हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को हाथ में जूते लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। बच्चे किसी तरह रास्ता पार करने के बाद जूते पहनकर स्कूल पहुंचते हैं।

बच्चों के मुताबिक, कीचड़ और खराब रास्ते के कारण कई बार उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है।

‘बेटा जल्दी आया करो, गुजरना पड़ रहा है। बच्चे किसी तरह रास्ता पार करने के बाद जूते पहनकर स्कूल पहुंचते हैं।



लगाई है। इसके बावजूद बारिश में रास्ते की हालत बदतर हो जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की पढ़ाई, मंदिर जाने वाली महिलाओं और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सड़क का जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि हर बारिश में उन्हें

इसी रास्ते से महिलाएं शंकर जी के मंदिर में पूजा-पाठ करने जाती हैं। बारिश के दौरान उन्हें भी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले ग्रामीणों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सड़क बनवाने की गुहार

निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद बारिश में रास्ते की हालत बदतर हो जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की पढ़ाई, मंदिर जाने वाली महिलाओं और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सड़क का जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि हर बारिश में उन्हें

श्योपुर में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का शक्ति प्रदर्शन!

कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने का संकल्प, 2028 के विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी—‘एकजुट होकर जनता के बीच जाएं, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करें’

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता
श्योपुर। शहर के बायपास रोड स्थित शुभम कॉम्प्लेक्स के पास कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, सामाजिक न्याय और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला प्रभारी कृष्ण गोपाल चौरसिया, अनुसूचित जाति विभाग ग्वालियर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मंगीलाल पौजी एवं विधायक बाबू जंडेल मौजूद रहे। सभी प्रमुख वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया।

कार्यकर्ताओं को दिया ‘जनता के बीच जाने’ का मंत्र

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की असली ताकत कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को आपसी एकजुटता के साथ जनता के बीच सक्रिय रहकर उनके मुद्दों और समस्याओं को उठाना होगा। अनुसूचित जाति समाज से जुड़े अधिकार, सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाने तथा आमजन की समस्याओं को संगठन के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने पर जोर



दिया गया।

वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनता के संर्क में रहकर संगठन को मजबूत किया जाए।

2028 के चुनाव को लेकर अभी से विगुल! सम्मेलन में आगामी 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया गया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने और कांग्रेस को मजबूत जनसमर्थन दिलाने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सकार बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने की बात कही गई।

कार्यकर्ताओं से अपील—संगठन को बूथ तक मजबूत करो

बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, जनहित से जुड़े मुद्दों और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को मुखुखता से उठाने का

संकल्प लिया।

अनुसूचित जाति समाज के मुद्दों को लेकर

सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति समाज से जुड़े अधिकारों और सम्मान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की गतिविधियों को और तेज करने पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन की पहुंच बनाना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को गांव, वाई और बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

नवल किशोर चौबे के नेतृत्व में आयोजित हुआ सम्मेलन

कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष नवल किशोर चौबे द्वारा किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस एवं अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया।

सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने बढ़ावा राजनीतिक उलसाह

सम्मेलन में दीलत राम गुप्ता, वृजेश गहरवार, मानसिंह राठौर, चीनी बहुरी, अशोक धूलिया, विजय सिंह धूलिया, कालि देवी, कृष्णा राठौर, मनवार बाई, मोतीलाल बैरवा, रामस्वरूप बैरवा, मधुपा लाल बैरवा, बजरंग लाल बैरवा, हरिमोहन बैरवा, रामप्रसाद बैरवा, रामकिशन बैरवा, ओमप्रकाश बैरवा, कन्हैया लाल बैरवा, रामदयाल बैरवा, पार्षद सुमेर सिंह, रामकुमार उमरिया, पहलवान सिंह, मोहनलाल बैरवा, बल्लू बैरवा, राकेश बैरवा, हरिओम बैरवा, रोशन लाल खरे, राजीव सगर, देवीशंकर बैरवा, शुगर सिंह जाटव, अतर सिंह जाटव, राजकुमार बैरवा, कुलदीप जाटव, जगदीश बैरवा, रामलखन बैरवा, बलवान बैरवा, सूरज कुमार बैरवा, सोनू बैरवा, महवीर बैरवा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्योपुर से कांग्रेस ने दिया चुनावी संदेश—अब संगठन को जमीन पर उतारने की तैयारी

कार्यकर्ता सम्मेलन भले ही अनुसूचित जाति विभाग के संगठनात्मक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया हो, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सकार बनाने का आह्वान इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना रहा है।

कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। अब सम्मेलन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कितनी सक्रियता दिखाते हैं और संगठन इस अभियान को किस तरह आगे बढ़ाता है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।

फिरहाल श्योपुर में अनुसूचित जाति विभाग के इस सम्मेलन ने कांग्रेस के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियों की हलचल जरूर तेज कर दी है।

गाड़ी लगाने की मामूली बात पर खूनी संघर्ष! तलवार से हमला, महिलाओं समेत चार घायल

सलापुरा क्षेत्र में पड़ोसियों का विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदला, वाहनों में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप—घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता
श्योपुर। शहर के सलापुरा क्षेत्र में गाड़ी लगाने की बात को लेकर शुरू हुआ पड़ोसियों का मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान तलवार से हमला किए जाने और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना में महिलाओं सहित चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गाड़ी लगाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी

जानकारी के अनुसार सलापुरा क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच गाड़ी लगाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। शुरूआत में हुई कहासुनी देखते ही देखते बड़ गई और दोनों पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया।

आरोप है कि इसी दौरान अंजार नक्शेवाले और उनके परिवार पर तलवार से हमला किया गया। हमले में परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। घटना के दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है।



महिलाओं समेत चार लोग

घायल
घटना में महिलाओं सहित कुल चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

घटना की सूचना फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई।

तलवार से हमला और वाहनों में तोड़फोड़ से मचा हड़कंप

विवाद के दौरान तलवार के इस्तेमाल और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जिस विवाद की शुरुआत महज गाड़ी लगाने की बात से हुई, वह इतनी तेजी से हिंसक रूप ले लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।

घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवादों को समय रहते शांत नहीं किया जाए तो वे कितनी जल्दी गंभीर संघर्ष

का रूप ले सकते हैं।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ विवाद के कारणों और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

फिरहाल पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि विवाद की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे।

सलापुरा की घटना के बाद पुलिस के सामने चुनौती

सलापुरा क्षेत्र की इस घटना के बाद पुलिस के सामने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चुनौती है। वहीं घायलों के उपचार के साथ पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की भी पड़ताल कर रही है।

गाड़ी लगाने जैसे मामूली विवाद से शुरू हुआ यह संघर्ष अब पुलिस जांच के केंद्र में है।

नए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के आते ही नशे के कारोबार पर शिकंजा!



स्मैक बेचने वालों की तलाश में पुलिस की दबिश, जुगनू उर्फ जहीर खान गिरफ्तार, राजू पठान की तलाश जारी—अपराध और चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की सक्रियता बढ़े

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले की पुलिस कमान संभालने के बाद नए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के नेतृत्व में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के साथ-साथ नशे के कारोबार के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। खासतौर पर युवाओं को प्रभावित कर रहे स्मैक के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस टीमों ने स्मैक की बिक्री से जुड़े संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की, जिसमें जुगनू उर्फ जहीर खान को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, स्मैक बिक्री के मामले में राजू पठान निवासी हसनपुरा हवेली, श्योपुर तथा जुगनू उर्फ जहीर खान निवासी हमाल मोहल्ला, बड़ा इमामबाड़ा, श्योपुर की तलाश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजू पठान की तलाश जारी बताई गई है।

संभावित ठिकानों पर पुलिस की दबिश
स्मैक की बिक्री के संबंध में सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों को चिन्हित कर दबिश की कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है।

नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त संदेश

श्योपुर में लंबे समय से नशे की समस्या को लेकर चिंता जताते आते रही है। खासकर स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पुलिस द्वारा संभावित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशीले पदार्थों की बिक्री

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग की जमीनी स्थिति परखने के लिए पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान का मैदानी भ्रमण लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार रात एसपी ने स्टेट बॉर्डर चौकी जलालपुरा और थाना बड़ौदा का निरीक्षण किया। देर रात हुए इस निरीक्षण से पुलिस महकमे में भी सक्रियता देखने को मिली।

एसपी ने चौकी एवं थाने में पहुंचकर वहां की पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों से मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

बॉर्डर चौकी पर विशेष नजर

जलालपुरा चौकी श्योपुर जिले की महत्वपूर्ण सीमा चौकियों में शामिल है। ऐसे में एसपी का रात के समय यहां पहुंचकर निरीक्षण करना पुलिस व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है।

निरीक्षण के दौरान चौकी की कार्यप्रणाली,



पुलिस स्टाफ की मौजूदगी तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। सीमा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और निगरानी को प्रभावी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

बड़ौदा थाने में लंबित मामलों की खुली

फाइल

जलालपुरा के बाद एसपी मोती उर रहमान ने थाना बड़ौदा का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की तथा लंबित मामलों की जानकारी ली।

एसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया

कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। पुलिस कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़े, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

संदेश

एसपी का लगातार थाना और चौकियों का भ्रमण पुलिसकर्मियों के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को लेकर

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पति और तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी

बड़ौदा थाना क्षेत्र में रात के समय हुई घटना से सनसनी—महिला की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ FIR, पुलिस जांच में जुटी

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर/बड़ौदा। बड़ौदा थाना क्षेत्र में सोमवार रात घर में घुसकर एक महिला से कथित छेड़छाड़ और उसके पति व तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना रात करीब 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, बड़ौदिया बिंदी निवासी रामचरण मीणा और सीताराम मीणा पर आरोप है कि वे महिला के घर में उस समय घुसे, जब

उसका पति खेत पर गया हुआ था।

महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों व्यक्ति उसके घर में घुसे और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला द्वारा शोर मचाए जाने के बाद दोनों मौके से चले गए।

महिला का यह भी आरोप है कि जाते समय दोनों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी तो उसके पति और तीनों बच्चों को जान से खत्म कर देंगे।

डर के बावजूद पति को बताई घटना

बताया गया है कि घटना के दौरान महिला का पति खेत पर गया हुआ था। रात में जब वह घर

लौटा तो महिला ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मंगलवार सुबह महिला अपने पति के साथ बड़ौदा थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस ने शुरू की जांच

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच, घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे

हैं। फिरहाल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

महिला की शिकायत के बाद कार्रवाई

घर में घुसकर महिला से कथित छेड़छाड़ और परिवार को धमकी दिए जाने की घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा किया है। पुलिस के सामने अब मामले की निष्पक्ष जांच के साथ आरोपों की सत्यता सामने लाने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है।

महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुरैना में बैंक मैनेजर और दलालों द्वारा महिला के साथ ठगी का मामला

मुरैना (निज संवाददाता)। मुरैना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ बैंक ऑफ़ इंडिया के मैनेजर और तीन दलालों ने मिलकर एक अशिक्षित महिला के साथ 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। मुरैना के बड़ोखर क्षेत्र की गोए/यामी गली में रहने वाली संगीता शर्मा एक दुकान पर नौकरी करती हैं। दुकान पर आने-जाने वाले दलालों (इमरान खान, संतोष और संतोषी लाल गौड़) ने उन्हें मकान बनाने के लिए 8 लाख रुपये का आवास लोन दिलाने का झांसा दिया। वे संगीता को बैंक ऑफ़ इंडिया की एमएस रोड ब्रांच के मैनेजर अनुराग तिवारी के पास ले गए, जहाँ अशिक्षित होने के कारण संगीता से कई कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। मैनेजर और दलालों ने मिलीभगत कर उनके नाम पर 8 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया और राशि कुटेरेटन वाले फर्म के खाते में ट्रांसफर कर बड़पू ली।संगीता को इस धोखाधड़ी की भमक तब लगी जब 16 अक्टूबर 2025 को बैंक के रिकवरी सेक्शन से उनके मोबाइल पर लोन की किस्त जमा करने के लिए फोन आया। जब उन्होंने बैंक जाकर जानकारी ली, तब पता चला कि उनके नाम पर लोन उठ चुका है जबकि उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला था।इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की, जिसकी जांच में मामला सही पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने बैंक मैनेजर अनुराग तिवारी और तीनों दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

संपादकीय

बुजुर्गों की छत पर अब बच्चों का अधिकार नहीं, माता-पिता की गरिमा सर्वोपरि

कभी जिस घर की नींव माता-पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, लग्य और सपनों से रखी थी, उसी घर में यदि बुढ़ापे में उन्हें अपमान, भय और असुरक्षा का सामना करना पड़े, तो सवाल फिर स्वभाविक तौर पर संपत्ति से आगे यह मनुष्य की गरिमा का बन जाता है। वस्तुत: सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को सामने आया निर्णय इसी बुनियादी प्रश्न को केंद्र में लाता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बढ़ती उम्र किसी व्यक्ति को असुरक्षित, अपमानित या अपने ही घर में बेबस होकर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यदि बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं या उनके भरण-पोषण और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को बाधित करते हैं, तो ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007’ के तहत गठित ट्रिब्यूनल परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है।

अब एक तरह से देखा जाए तो यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक से आगे बढ़कर उस सामाजिक उद्देश्य को देखा है, जिसके लिए वरिष्ठ नागरिक कानून बनाया गया था। बुजुर्गों को सिर्फ भोजन और आर्थिक सहायता के साथ ही सम्मान, सुरक्षा और रहने की सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।

उक्त मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता से जुड़ा है। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को अपनी संपत्ति से हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सम्मक्ष आवेदन किया था। यह संपत्ति उन्होंने स्वयं खरीदी थी। विवाद की गंभीरता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को उस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया, किंतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेशों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की व्याख्या यह थी कि 2007 का कानून वरिष्ठ नागरिक को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता। यहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत के सामने मूल प्रश्न यह बना कि क्या बुजुर्गों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास बेदखली का आदेश देने की शक्ति है?

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि 2007 का कानून कल्याणकारी कानून है और उसकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाए। धारा 7 के तहत गठित ट्रिब्यूनल और धारा 8 के तहत उसे प्राप्त शक्तियाँ को सिर्फ कागजी औपचारिकता मानकर नहीं देखा जा सकता। यदि बुजुर्ग की देखावत, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए किसी बच्चे या रिश्तेदार को संपत्ति से हटाना आवश्यक होे, तो ऐसी राह दी जा सकती है।

यानी अदालत का संदेश साफ है कि संपत्ति पर अधिकार मालिकाना दस्तावेज़ का विषय नहीं है; जब उस संपत्ति में रहने वाला वरिष्ठ नागरिक अपने ही बच्चों से असुरक्षित हो जाए, तब कानून का पहला उद्देश्य उसकी सुरक्षा और गरिमा बन जाता है। इसलिए न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए इस दिशा में निर्णय बताते हैं कि बुजुर्गों का हक उनकी अर्जित संपत्ति पर उनके जीवित रहते हुए सदैव ही बना रह सकता है।

इस संबंध में सितंबर 2025 में ‘कमलाकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर’ मामले को भी देखा जा सकता है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल की बेदखली संबंधी शक्ति को और स्पष्ट किया। लगभग 80 वर्षीय कमलकांत मिश्रा और उनकी 78 वर्षीय पत्नी की संपत्तियों पर उनके बेटे ने कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी ही संपत्तियों में रहने नहीं दिया जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने संपत्ति खाली कराने और माता-पिता को मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन बांबेंबे हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को गलत माना और कहा कि कल्याणकारी कानून के तहत ट्रिब्यूनल को ऐसी स्थिति में बच्चे या रिश्तेदार को हटाने की शक्ति हो सकती है।

इसी तरह से यह फैसला मौजूदा निर्णय के कानूनी आधार को समझने में खासा महत्वपूर्ण है। जिसमें कि ‘उमीला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित’ जनवरी 2025 केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण से जुड़े कानून की कल्याणकारी प्रकृति को रेखांकित किया। यदि इन फैसलों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। न्यायालय अब वरिष्ठ नागरिक कानून को आज सिर्फ आर्थिक भरण-पोषण का कानून नहीं मान रहा है। इसके केंद्र में बुजुर्ग का सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन है।

भारतीय परिवारों में अक्सर माता-पिता जीवनभर की कमाई से घर बनाते हैं और बाद में बच्चों के नाम संपत्ति कर देते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब संपत्ति हस्तांतरण के बाद वही बच्चे माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक संदेश शायद यही है कि बुजुर्गों की सुरक्षा को परिवारारिक दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। माता-पिता ने बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी लगा दी, इसका अर्थ यह नहीं कि बुढ़ापे में उन्हें उसी घर में अपमान सहने के लिए मजबूर किया जाए।

कानून यहां परिवार को बुजुर्ग को संरक्षण देने के लिए कह रहा है। यहां समझ लें कि अदालत का हस्तक्षेप उस अंतिम दीवार की तरह है, जिसके पीछे एक बुजुर्ग अपने सम्मान के साथ खड़ा हो सकता है और यही इस फैसले का व्यापक अर्थ है। जिस व्यक्ति ने जीवनभर परिवार को घर दिया, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने ही घर में गरिमा से रहने का अधिकार भी कानून सुनिश्चित करता है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

तस्वीरों में उतरा छतीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान

रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

रायपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बुधवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट ‘दृश्य संवाद 2026’ का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की ‘प्रकृति एवं पर्यावरण’ कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं ‘संस्कृति एवं परंपरा’ कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को महक महसूस की जा सकती है। ‘समाचार एवं जनसरोकार’ कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देने हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया

सच टाइम्स

जनजातीय संस्कृति, पहचान और ज्ञान-परंपरा पर प्रभाव

औपनिवेशिक हस्तक्षेप से संवैधानिक संरक्षण तक

डॉं भूपेन्द्र कुमार सुल्लोरे
भारत की जनजातीय सभ्यताएं केवल कुछ समुदायों की सामाजिक पहचान नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सभ्यता की बहुलतापूर्ण संरचना, प्रकृति-केंद्रित जीवन-दृष्टि और सामुदायिक ज्ञान-परंपरा की महत्वपूर्ण वाहक हैं। जनजातीय समाजों ने सदियों से जंगल, जल, जमीन, कृषि, औषधीय वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, मौसम, लोककला, संगीत, नृत्य, मौखिक इतिहास और सामुदायिक जीवन के संबंध में ऐसी ज्ञान-परंपराएं विकसित कीं, जिनका संचरण मुख्यतः पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से होता रहा है।

किन्तु औपनिवेशिक शासन, मिशनरी गतिविधियों, बाहरी प्रशासनिक व्यवस्था, वन कानूनों, भूमि संबंधी नीतियों और औपनिवेशिक शिक्षा ने इन समाजों की पारंपरिक संरचनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने इस ऐतिहासिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए।

इसलिए जनजातीय प्रश्न को केवल विकास या पिछड़ेपन के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आधुनिकीकरण और संवैधानिक संरक्षण के बीच जनजातीय समाज अपनी भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, सामुदायिक संस्थाओं और पारंपरिक ज्ञान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है।

औपनिवेशिक हस्तक्षेप और जनजातीय जीवन में परिवर्तन

औपनिवेशिक शासन से पहले अनेक जनजातीय समुदायों में भूमि, जंगल और जल संसाधनों का संबंध केवल आर्थिक स्वाभित्व से नहीं, बल्कि सामुदायिक अधिकार, सामाजिक दायित्व और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा था।

ब्रिटिश प्रशासन ने राजस्व, वन प्रबंधन और भूमि स्वाभित्व की आधुनिक कानूनी व्यवस्थाओं को लागू किया। वन क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में लेने से जनजातीय समुदायों के पारंपरिक उपयोग-अधिकार प्रभावित हुए। जंगल, जो उनके लिए भोजन, औषधि, ईंधन, आवास और धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन का आधार था, धीरे-धीरे प्रशासनिक और वाणिज्यिक संसाधन के रूप में देखा जाने लगा।

इस परिवर्तन का परिणाम केवल आर्थिक विस्थापन नहीं था। इससे जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं और प्रकृति के साथ उसके संबंध पर भी प्रभाव पड़ा।

मिशनरी गतिविधियां और सांस्कृतिक परिवर्तन
जनजातीय क्षेत्रों में मिशनरी गतिविधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक क्षेत्रों में मिशनरी संस्थाओं ने विद्यालय और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए तथा स्थानीय भाषाओं में साहित्य तैयार किया।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से सईं स्थानों पर पारंपरिक विश्वासों, पूजा-पद्धतियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। कुछ समुदायों में धार्मिक पहचान में परिवर्तन आया, जबकि कई स्थानों पर पारंपरिक और नए धार्मिक-सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण भी विकसित हुआ।

इसलिए मिशनरी प्रभाव का मूल्यांकन एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान को स्वीकार करते हुए यह भी अध्ययन आवश्यक है कि धार्मिक परिवर्तन ने जनजातीय पहचान, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक संस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित किया।

औपनिवेशिक शिक्षा और मौखिक ज्ञान-परंपरा
जनजातीय समाजों में ज्ञान का बड़ा हिस्सा पुरस्कों में नहीं, बल्कि लोककथाओं, गीतों, मिथकों, अनुष्ठानों, कृषि-परंपराओं, लोक चिकित्सा और वरिष्ठ पीढ़ी के अनुभवों में सुरक्षित रहा है।

रायपुर : नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस सोनमणि बोरा ने संभाला कार्यभार

रायपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सोनमणि बोरा ने आज बुधवार को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत श्री बोरा को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया गया है। वे प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। वे विज्ञान एवं

औपनिवेशिक शिक्षा ने ज्ञान को औपचारिक विद्यालय और लिखित पाठ्यक्रम से जोड़ दिया। इससे आधुनिक शिक्षा के अवसर तो बढ़े, लेकिन पारंपरिक ज्ञान के कई रूपों को अवैज्ञानिक या अग्रसरणिक समझे जाने का खतरा भी पैदा हुआ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनजातीय ज्ञान को केवल लोककथा या सांस्कृतिक विरासत मानकर संग्रहालयों में न रखा जाए, बल्कि उसके वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाए।

भाषा पर प्रभाव

भाषा किसी भी समुदाय की पहचान की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। अनेक जनजातीय भाषाएं लंबे समय तक मौखिक परंपरा पर आधारित रहीं। बाहरी प्रशासन, विद्यालयी शिक्षा और रोजगार की आवश्यकताओं ने क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाया।

इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ जनजातीय भाषाओं के प्रयोग का क्षेत्र सीमित हुआ और नई पीढ़ी में मातृभाषा से दूरी बढ़ी।

यह केवल भाषाई परिवर्तन नहीं है। किसी भाषा के कमजोर होने का अर्थ उसके साथ जुड़े लोकगीत, कहानें, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि ज्ञान, धार्मिक अवधारणाएं और सामुदायिक इतिहास के कमजोर होने का भी खतरा है।

कला, लोक-संस्कृति और धार्मिक विश्वास
जनजातीय चित्रकला, नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, हस्तशिल्प, अभूषण और धार्मिक प्रतीक केवल सौंदर्य की वस्तुएं नहीं हैं। वे सामुदायिक इतिहास और सामूहिक स्मृति के माध्यम हैं।

आधुनिक बाजार ने जनजातीय कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है, लेकिन इसके साथ व्यावसायीकरण को चुनौती भी सामने आई है। यदि कलाकार और समुदाय अपने सांस्कृतिक ज्ञान के अधिकार से वंचित हो जाएं, तो उनकी कला बाजार की वस्तु तो बन सकती है, लेकिन उसके पीछे की सांस्कृतिक आत्मा कमजोर हो सकती है।

इसी प्रकार जनजातीय धार्मिक विश्वासों को समझते समय उन्हें किसी एक बाहरी धार्मिक ढांचे में समाहित करने के बजाय उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भभूमि में समझना आवश्यक है।

भारतीय संविधान और जनजातीय संरक्षण

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने जनजातीय समाजों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संरक्षण तंत्र प्रदान किया।

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 (4) और 15(5) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का आधार देता है।

अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व
जनजातीय समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।

अनुच्छेद 243B पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन समुदायों की आवाज सुनिश्चित करना है जिनका पारंपरिक जीवन लंबे समय तक बाहरी प्रशासनिक संरचनाओं से प्रभावित रहा।

अनुच्छेद 244 और पांचवीं तथा छठी अनुसूची

जनजातीय प्रशासन की दृष्टि से अनुच्छेद 244 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पांचवीं और छठी अनुसूची की व्यवस्था की गई है।

पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। यह मुख्यतः उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है जहां जनजातिय आबादी और उनकी विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां विशेष संरक्षण की मांग करती हैं।

छठी अनुसूची अस्म, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था करती है। इसका मूल उद्देश्य स्थानीय परंपराओं, समाजिक संस्थाओं और प्रशासनिक स्वायत्तता को संवैधानिक संरक्षण देना है।

अनुच्छेद 275 (1) और वित्तीय सहायता
अनुच्छेद 275 (1) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध करा सकती है।

यह प्रावधान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जनजातीय विकास को केवल राज्य सरकारों की सामान्य योजनाओं पर निर्भर न रखते हुए केंद्र के भी संवैधानिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा सरकार को आवश्यक सुझाव देना है। यह व्यवस्था जनजातीय अधिकारों की निगरानी के लिए एक संरक्षण तंत्र प्रदान करती है।

अनुच्छेद 342 और अनुसूचित जनजातियों की पहचान
अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल से परामर्श के बाद, किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संसद को इस सूची में समावेशन या विलोपन करने की शक्ति प्राप्त है।

यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदायों से जुड़ा होता है।

वन अधिकार और सामुदायिक जीवन
जनजातीय समाज और जंगल का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। इसी ण्टर्भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे संसद ने पारित किया, वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है, महत्वपूर्ण है।

इस कानून ने व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में ग्रामसभा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया।

यह दृष्टिकोण जनजातीय समाज को केवल वन-निर्भर आबादी मानने के बजाय उसे वन संसाधनों के पारंपरिक संरक्षक और हितधारक के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम—PESA

PESA, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को जनजातीय परंपराओं और ग्रामसभा की भूमिका के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

ग्रामसभा को स्थानीय संसाधनों, सामाजिक प्रथाओं और

सामुदायिक हितों से जुड़े विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका देना इसकी प्रमुख विशेषताओं में है।

यहां संविधान की मूल भावना स्पष्ट दिखाई देती है—जनजातीय विकास का अर्थ केवल बाहर से विकास पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को विकास संबंधी निर्णयों का भागीदार बनाना है।

संवैधानिक संरक्षण और वास्तविक चुनौती

भारत का संवैधानिक ढांचा जनजातीय समाज के लिए व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। फिर भी व्यवहार में कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

पहली चुनौती है—कानून और क्रियाव्यवन के बीच अंतर।

दूसरी चुनौती है—विकास और विस्थापन का प्रश्न। सड़क, बांध, खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाएं राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन यदि इनके कारण जनजातीय समुदाय अपनी भूमि, जंगल और सांस्कृतिक परिेश से विस्थापित होता है तो विकास की सामाजिक कीमत का मूल्यांकन आवश्यक है।

तीसरी चुनौती है—भाषाई क्षरण। यदि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ से नहीं जुड़ती तो नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक ज्ञान-व्यवस्था से दूर हो सकती है। चौथी चुनौती है—सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। जनजातीय समाज को केवल गरीबी, पिछड़ेपन और विकास की कमी के चरम से देखने की प्रवृत्ति बदलनी होगी।

आगे की दिशा

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का अर्थ उन्हें आधुनिकता से अलग करना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य ऐसा विकास मॉडल होना चाहिए जिसमें आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार के अवसरों के साथ सांस्कृतिक स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे।

इसके लिए पांच स्तरों पर विशेष प्रयास आवश्यक है—

- जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा और डिजिटल सामग्री का विकास।
- पारंपरिक ज्ञान का समुदाय की भागीदारी से दस्तावेजीकरण।
- जनजातीय कला और हस्तशिल्प के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा।
- ग्रामसभा और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक भावना के अनुरूप वास्तविक भागीदारी।
- जनजातीय इतिहास और संस्कृति को भारतीय इतिहास के मुख्य विमर्श में उचित स्थान।

जनजातीय संस्कृति को समझने का सही दृष्टिकोण न तो उसे अतीत की वस्तु मानना है और न ही उसे आधुनिक विकास के रास्ते की बाधा समझना। जनजातीय समाज भारत की बहुलतावादी सभ्यता का जीवंत हिस्सा है।

औपनिवेशिक शासन और उसके बाद के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने जनजातीय भाषाओं, धार्मिक विश्वासों, पारंपरिक संस्थाओं और ज्ञान-परंपराओं को प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत ने संविधान के माध्यम से इस ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया—अनुच्छेद 14, 15, 16, 46, 244, 275, 330, 332, 338, 342 तथा पांचवीं और छठी अनुसूची जैसे प्रावधान इसी संवैधानिक दृष्टि के महत्वपूर्ण आधार हैं।

लेकिन संवैधानिक संरक्षण तभी प्रभावी होगा जब वह जमीन पर अधिकार, भागीदारी, सम्मान और सांस्कृतिक आत्मनिर्णय में परिवर्तित होे।

अंततः जनजातीय विकास का प्रश्न केवल यह नहीं है कि जनजातीय समाज को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की मुख्यधारा जनजातीय समाज की अपनी ज्ञान-परंपराओं, प्रकृति-दृष्टि, सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक विविधता से क्या सीख सकती है।

यही दृष्टिकोण भारत की लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र-व्यवस्था को अधिक मजबूत बना सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

तस्वीरों में उतरा छतीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान

रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

रायपुर, 19 अगस्त (हि.स.)। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज बुधवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट ‘दृश्य संवाद 2026’ का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की ‘प्रकृति एवं पर्यावरण’ कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं ‘संस्कृति एवं परंपरा’ कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को महक महसूस की जा सकती है। ‘समाचार एवं जनसरोकार’ कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है। इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देने हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया



फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं हैं।

फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम :

श्याम बिहारी जायसवाल : प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तस्वीर करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए।

उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के

साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं।

तस्वीर पत्रकारिता की अधूरी खबर को पूरा करती है :

मोहन तिवारी : रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘दृश्य संवाद’ केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, फोटो जर्नलिस्ट साधियों के बिना अधूरी है। खबर की जीवंतता और प्रभाव देने में एक तस्वीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने कहा कि एक सशक्त तस्वी

जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल जी की अध्यक्षता में गठित समिति की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में 21 अगस्त को होगी कृषि यंत्रों की ई-लाटरी

कृषि यंत्रों के टोकन कन्फर्म कराने के लिए 21 अगस्त को होगी ई-लाटरी, कृषक बंधु समयय करें प्रतिभाग

आगरा, 19.08.2026/उप निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार ने जनपद आगरा के समस्त कृषक बन्धुओं को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2026×27 में कृषि विभाग मंशानुरूप संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिन कृषकों द्वारा दिनांक-16-07-2026 से 10-08-2026 तक कृषि यंत्रों की विभागीय पोर्टल पर बुकिंग की गयी है तथा लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने के कारण जिन कृषकों के टोकन कन्फर्म नहीं हुए हैं ऐसे कृषकों के टोकन को कन्फर्म करने हेतु शासन द्वारा ई-लाटरी कराये जाने का प्रावधान है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति की उपस्थिति में दिनांक-21-08-2026 को अपरान्ह-12:30 बजे से विकास भवन सभागार, संजय पैलेस, आगरा में ई-लाटरी की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जिन कृषक बन्धुओं ने कृषि विभाग मंशानुरूप संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों की बुकिंग की है वह कृषक बन्धु ई-लाटरी 2026 में दिनांक-21-08-2026 को अपरान्ह-12:30 बजे स्थान- विकास भवन सभागार संजय पैलेस, आगरा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

अगस्त माह के राशन वितरण की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई गई, अन्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा नि:शुल्क खाद्यान्न

ई-पॉस, ओटीपी और पोर्टेबिलिटी से 25 अगस्त तक राशन प्राप्त करने की मिलेगी सुविधा

आगरा, 19.08.2026/जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह ने जनपद के समस्त अन्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा अन्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह-अगस्त, 2026 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गृहे व चावल) का नि:शुल्क वितरण कराया जाना दिनांक 05.08.2026 से 18.08.2026 तक निर्धारित किया गया है। दिनांक 03.08.2026 से 11.08.2026 तक कॉन्डिड यात्रा के कारण कतिपय जनपदों में खाद्यान्न का उठान एवं वितरण का कार्य अर्पित गति से नहीं हो सका है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त के दृष्टिगत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने हेतु माह-अगस्त, 2026 के सप्ताष खाद्य वितरण की तिथि दिनांक 25.08.2026 तक विस्तारित की गयी है। दिनांक 25.08.2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाईल ओ0टी०पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 18.08.2026 के साथ दिनांक 25.08. 2026 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 25.08.2026 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की हुई घोषणा

घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता हुई लागू जिले में दो चरणों में होगा मतदान

धौलपुर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव के अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1 सितम्बर अर्थाथिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 3 सितम्बर को दोपहर 2 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितम्बर मतदान की तिथि प्रथम चरण के लिए 9 सितम्बर व द्वितीय चरण के लिए 11 सितम्बर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतगणना की तिथि 14 सितम्बर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अध्यक्ष पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितम्बर नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 17 सितम्बर अर्थाथिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 18 सितम्बर अपरान्ह 3 बजे तक चुनाव चिन्ही का आवंटन 18 सितम्बर मतदान की तिथि एवं समय 21 सितम्बर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतगणना की तिथि एवं समय 21 सितम्बर को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की तिथि 22 सितम्बर निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक का प्राप्रभ प्रातः 10 बजे नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे तक नामांकन

पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे तक अर्थाथिता वापसी का समय अपरान्ह 2 बजे तक मतदान यर्दि आवश्यक हुआ तो अपरान्ह 2.30 बजे से 5 बजे तक इसके पश्चात मतगणना की जाएगी। जिले में दो चरणों में होगा मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परियद धौलपुर के 60 वार्ड नगर पालिका राजाखेड़ा के 35 वार्ड नगर पालिका मनिया के 20 वार्ड एवं नगर पालिका सैपऊ के 20 वार्ड का प्रथम चरण 9 सितम्बर को तथा नगर पालिका बसेड़ी के 25 वार्ड, नगर पालिका बाड़ी के 45 वार्ड एवं नगर पालिका सप्तधुधु के 25 वार्ड का द्वितीय चरण 11 सितम्बर को मतदान किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके है। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण/मनरेगा कार्ड बैंक या ड्राकरा राजा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेरथ्य कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटो युक्त पेशन दस्तावेज केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र सांसदों एवं विधायसभा सदस्यों को



सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा, ने अपने विभाग से मिलने वाले फसली ऋण के बारे में अवगत कराया। अपर जिलाधिकारी अधिकारी, महोदय, (नमामि गंगे) ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। किसान दिवस उप कृषि निदेशक, आगरा, जिला कृषि अधिकारी, आगरा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा (प्रतिनिधि), आगरा, जिला उद्यान अधिकारी, आगरा, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) आगरा, जिला वित्तियन अधिकारी, आगरा आदि जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ ही किसान श्री राजवीर लवानियाँ, एवं श्याम सिंह चाहर, लक्ष्मी नरायण बघेल, श्री सोमवीर यादव, लाखन सिंह, पुष्पेन्द्र नैन, आदि लगभग 100 किसान भी सभागार में उपस्थित रहे।

सैपऊ नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक एकजुट होकर वार्ड स्तर पर जीत के लिए संकल्प लिया



धौलपुर (निज संवाददाता) । सैपऊ नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय सैपऊ पर आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गई। बैठक में कांग्रेस महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला महासचिव एवं प्रभारी सैपऊ रोशनी शिवहरे प्रभारी केशव चंद्र मीणा बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र

कुशवाहा एवं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों

विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों को मजबूती से रखने तथा संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई बैठक में सभी टिकट के इच्छुक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट स्वर में संकल्प लिया कि सैपऊ नगर पालिका में ईमानदार पारदर्शी जनसेवा को समर्पित और विकास कार्यों को प्रार्थमिकता देने वाला कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया जाएगा। बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत के लिए पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ मैदान में उतरने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आत्मा बैठक में नवाचारी खेती पर जोर प्रशिक्षण का परिणाम आकलन अनिवार्य



लाभ मिला, आय में कितना बदलाव आया तथा कृषि



उपादन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया इसके लिए

बरसात में ह्यदसों के चलते धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दमोह झरने पर 18 अगस्त से 30 सितंबर तक लगाया प्रवेश प्रतिबंध

धौलपुर (निज संवाददाता)। बरसात के मौसम में दमोह झरने पर बढ़ते पर्यटक आवागमन तथा पानी में डूबने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर उपखंड सरमथुरा स्थित दमोह झरने एवं उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों एवं पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबन्धित कर दिया है। प्राय देखने में आया है कि बरसात के दौरान दमोह झरने को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक एवं आमजन पहुंचते है। झरने में पानी का बहाव बढ़ने के कारण पूर्व में पानी में डूबने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं,जिससे जनजीवन एवं लोक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग झरने के आसपास पहुंचते हैं जिससे जनहानि एवं गंभीर चोट की संभावना बनी रहती है। इस आदेश के तहत दमोह झरने तथा उसके आसपास 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों एवं पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह



आदेश 18 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने आमजन एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश न करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

आकलन अनिवार्य

विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रशिक्षण की नई रूपरेखा व्यव करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य फसलों के प्रशिक्षण राज्य के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में ही किए जाए विशिष्ट खेती, नवाचारी पद्धतियों के प्रशिक्षण राज्य के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में किए जाए। बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कृषि विकास को गति देने तथा किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने कृषि क्षेत्र में नवाचारी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों सहित जिले के कृषक उपस्थित रहे।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फील्ड स्टाफ का वर्चुअल ओरियंटेशन

एपीएच और पीपीएच के प्रबंधन पर रहा विशेष जोर

धौलपुर, 19 अगस्त। जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से फील्ड स्टाफ का वर्चुअल माध्यम से ओरियंटेशन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा के निर्देश पर आयोजित इस ओरियंटेशन में विशेष रूप से एंटेपार्टम हैमरेज(एपीएच) अर्थात 20 या 24 सप्ताह के बाद से लेकर बच्चे के जन्म से पहले तक योनि से होने वाला रक्तस्राव। तथा पोस्ट पार्टम हैमरेज (पीपीएच), अर्थात प्रसवोत्तर रक्तस्राव की समय पर पहचान, प्रार्थमिक प्रबंधन एवं रेफरल व्यवस्था को लेकर फील्ड स्टाफ को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

ओरियंटेशन के दौरान जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला रक्तस्राव से मातृ एवं भ्रूण दोनों के लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। फील्ड स्तर पर गर्भवती महिला में किसी भी प्रकार के असामान्य योनि रक्तस्राव को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में देरी न करते हुए महिला की स्थिति का प्रार्थमिक आकलन, आवश्यक जीवनरक्षक उपाय तथा समय पर उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफरल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इसी प्रकार प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव यानी पीपीएच 'को मातृ मृत्यु के प्रमुख रोकथाम योग्य कारणों में से एक बताते हुए इसके 'समय पर पहचान एवं त्वरित उपचान की जानकारी दी गई। फील्ड स्टाफ को प्रसव के बाद महिला की लगातार निगरानी, अत्यधिक रक्तस्राव के संकेतों की पहचान, रक्तचाप एवं नाड़ी सहित आवश्यक जीवन

संकेतों की निगरानी तथा स्थिति गंभीर होने पर बिना विरलंब उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में रेफर करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान सीनियर रेंजिडेंट डॉ अनन्या ने कहा कि पीपीएच की स्थिति में पहले कुछ मिमट अवन्त महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रसव के बाद महिला की निगरानी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल उपचार शुरू करने, आवश्यक दवाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जरूरत पड़ने पर रक्त एवं रक्त घटकों की व्यवस्था के लिए संबंधित संस्थान एवं ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को हई रिस्क प्रेनेसी की समय पर पहचान, गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच, एनर्गिया की पहचान एवं प्रबंधन, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए केवल स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर उपचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि फील्ड स्तर पर खरते के संकेतों की समय पर पहचान और त्वरित रेफरल बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला अथवा प्रसुता में रक्तस्राव जैसे गंभीर लक्षण सामने आने पर परिवार को भी स्थिति को गंभीरता समझाते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।

ओरियंटेशन के दौरान फील्ड स्टाफ को यह भी निर्देश दिए गए कि हई रिस्क गर्भवती महिलाओं का नियमित फॉलोअप किया जाए, प्रसव के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान में किसी योजना बनाई जाए तथा अपात स्थिति में रेफरल के दौरान आवश्यक समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि उपचान में किसी प्रकार की देरी न हो। इस वर्चुअल ओरियंटेशन में जेएण्डो एसपीओ प्रधु, डीपीओ शशांक वशिष्ठ एवं प्रोग्राम ऑफिसर सुमित पुरी मौजूद रहे।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केन्द्र, बिचपुरी के सभागार में किसान दिवस का हुआ आयोजन

किसान दिवस में 12 शिकायतों का जिलास्तरीय अधिकारियों ने किया समाधान, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश कृषि यंत्रीकरण, फार्मर रजिस्ट्री और फसल बीमा योजनाओं तथा लम्पी रिकन डिजीज से बचाव और फसली ऋण की किसानों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
किसान दिवस में करीब 100 किसानों ने लिया भाग, अधिकारियों ने समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया मसौदा

आगरा, 19.08.2026/अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) श्री जुवेर बेग की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केन्द्र, बिचपुरी, आगरा के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद आगरा के किसानों की समस्याओं का जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। जिसमें सहकारिता विभाग से सम्बन्धित 03, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित 02, विद्युत विभाग से सम्बन्धित 01, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से सम्बन्धित 02, उद्यान विभाग से सम्बन्धित 02, मण्ड्री समिति से सम्बन्धित 01, उप कृषि निदेशक से सम्बन्धित 01, कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई। अपर जिलाधिकारी अधिकारी, महोदय, (नमामि गंगे) आगरा ने किसान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उप कृषि निदेशक, आगरा ने ई० लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के सम्बन्ध में, एफ फार्मर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में किसान दिवस में उपस्थित कृषकों को अवगत कराया गया। जिला कृषि अधिकारी, आगरा ने फसल बीमा से खेती में होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया गया। श० ब्रजेश यादव (प्रतिनिधि) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा, ने पशुओं में होने वाले लम्पी रिकन डिजीज के बचाव के बारे में जानकारी दी,



मथुरा जंक्शन स्टेशन के स्टेशन

निदेशक श्री सुनील शर्मा एवं वाणिज्य

सुपरवाइजरों के साथ बैठक भी की।

बैठक में स्टेशन पर वाणिज्यिक गतिविधियों एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई तथा यात्रियों की सुविधा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

श्री अंकित गुप्ता ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं के प्रति सजग रहते हुए यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने तथा रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं एवं खानपान इकाइयों में

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं!

संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य पर रुपये मांगने के आरोप, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल



विजयपुर। संदीपनी विद्यालय विजयपुर में पदस्थ प्राचार्य अजय समाधिया के खिलाफ रुपये मांगने के आरोपों को लेकर की गई शिकायत अब प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की स्थिति को लेकर सवालों के घेरे में है। शिकायत सामने आने के बाद मामले को मीडिया द्वारा भी प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन शिकायत के कई दिन बाद भी संबंधित विभाग की ओर से जांच की प्रगति अथवा कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शैक्षणिक संस्था से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारी के खिलाफ आर्थिक लेन-देन से संबंधित शिकायत सामने आने पर निष्पक्ष जांच और तथ्यों की स्पष्टता जरूरी है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो

जाता है कि शिकायत पर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई और जांच वर्तमान में किस स्तर पर है।
शिकायत हुई, खबर भी चली... फिर कार्रवाई कहाँ अटकती? प्राचार्य के खिलाफ रुपये मांगने के आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित स्तर पर शिकायत किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद मामला मीडिया में भी आया। ऐसे में उम्मीद थी कि संबंधित विभाग शिकायत के तथ्यों की जांच करेगा, शिकायतकर्ता और संबंधित प्राचार्य का पक्ष सुनेगा तथा दस्तावेजों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगा।हालांकि, अभी तक जांच की प्रगति या किसी निर्णय की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत अथवा आरोप मात्र से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। आरोपों की सत्यता का निर्धारण निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है। यदि शिकायत सही है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित व्यक्ति की स्थिति भी

आधिकारिक रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए।

प्रशासन की चुप्पी से बढ़ रहे सवाल
मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि शिकायत पर जांच शुरू हुई या नहीं? यदि जांच शुरू हो चुकी है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या शिकायतकर्ता और प्राचार्य से उनके बयान लिए गए हैं? क्या किसी अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या जांच रिपोर्ट तैयार हुई है? यदि जांच अभी लंबित है तो इसकी वजह क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या समयसीमा निर्धारित की गई है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग की ओर से सामने आना जरूरी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले में पारदर्शी तरीके से जांच कर वास्तविक तथ्य सामने लाए जाने चाहिए। इससे शिकायतकर्ता को भी स्थिति स्पष्ट होगी और संबंधित प्राचार्य को भी अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलेगा।

अब विभाग के आधिकारिक जवाब का इंतजार
शिकायत के बाद मीडिया में मामला उठने के बावजूद यदि विभाग की ओर से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल उठते हैं। अब निगूह संबंधित विभाग पर है कि वह मामले में जांच की स्थिति सार्वजनिक करता है या नहीं। यदि जांच लंबित है तो उसका कारण क्या है, शिकायतकर्ता को अब तक क्या जानकारी दी गई और मामले में आगे की कार्रवाई कब तक पूरी होगी—इन सभी सवालों पर विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

फिलहाल सवाल सिर्फ शिकायत का नहीं, बल्कि शिकायत पर हुई कार्रवाई का है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब तक मामले की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखता है।

राधा-कृष्ण किरार मन्दिर में भागवत कथा में सजी गोवर्धन लीला की झांकी



भिण्ड (निज संवाददाता)। शहर के प्रसिद्ध राधा-कृष्ण किरार मन्दिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास स्वामी आशीषानन्द महाराज ने गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनाकर भक्तों को भक्ति रस का रसपान कराया। महाराज ने कथा के दौरान बताया कि भगवान

श्रीकृष्ण ने इन्द्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर ब्रज वासियों की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि यह लीला हमें प्रकृति की पूजा और अहंकार त्याग का संदेश देती है। कथा पण्डाल में गोवर्धन पर्वत की मनोहरी झांकी सजाई गई, जिसे देखकर श्रद्धालु

भावविभोर हो उठे और 'गिरिराज धरण की जय' के जयकारों से पूरा मन्दिर परिसर गुंज उठा।

धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश
स्वामी आशीषानन्द महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को धर्म, कर्म और संस्कारों के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मनुष्य भौतिक सुखों में उलझकर अपने धर्म को भूलता जा रहा है। भागवत हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म सेवा, सत्य और प्रेम में है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि व्यक्ति नियम और संयम से जीवन जीए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कथा के दौरान मन्दिर परिसर में भजन-कीर्तन का दौरा भी चला। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कथा सुनने पहुंचे। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। सात दिवसीय इस भागवत कथा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु धर्मलाभ ले रहे हैं।

औषधि निरीक्षक दल ने मिहोना में मेडिकल स्टोरों का किया औचक निरीक्षण

-औषधियों के नमूने लेकर शा. औषधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे



भिण्ड (निज संवाददाता)। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्र के निर्देश पर गठित औषधि निरीक्षकों के दल में भिण्ड रवि कुमार जाटव, दतिया उमेश रामचंद्रानी एवं अशोकनगर जितेन्द्र शर्मा ने सीएमएचओ डॉ. जेएस यादव के मार्गदर्शन में गत दिवस मिहोना तहसील में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण में चौधरी मेडिकल स्टोर पर मेडिकल के संचालन संबंधी दस्तावेज एवं औषधियों के क्रय विक्रय रिकार्ड्स मौके पर नहीं पाए जाने पर दल द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान अंतर्गत

रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर मौके पर बंद पाया गया, जिसमें मेडिकल के संचालक को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। दल के सदस्यों ने बताया कि जिले में आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा एवं मेडिकल का नियमानुसार संचालन नहीं मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधान अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड लोकजन के स्वास्थ्य एवं सुखा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सच टाइम्स

श्योपुर में विकास कार्यों को लेकर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर सरख्त

PM जनमन और PMGSY के तहत 105 सड़कों की टेंडर प्रक्रिया जारी, दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने पर जोर—सांसद बोले, समयसीमा में पूरे हों निर्माण कार्य

जिला ब्यूरो – संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले में सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े निर्माण कार्यों को गति देने के लिए क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।

बैठक में कलेक्टर शोला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डा बाई आदिवासी, सीईओ जिला पंचायत सोनिया आनंद सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

PM जनमन और PMGSY से गांवों को मिलेगी सड़क कनेक्टिविटी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने बताया कि पीएम जनमन तथा पीएमजीएसवाय के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में सड़कों की टेंडर प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे गांव और बस्तियां जहां कम दूरी की सड़क बनाकर उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है, वहां एग्रीक रोड के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

इसमें विजयपुर से किलोरच रोड, मेवाड़ा माली बस्ती से कैनाल रोड तथा राडेप से लाथ तक सड़क को शामिल करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि इन प्रस्तावों को स्वीकृत कराने के लिए आवश्यक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

'काम लटकना नहीं चाहिए, लंबित कार्यों की सूची मुझे दें'

समीक्षा बैठक में सांसद ने अधिकारियों को दो दृष्टि कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयान्तिम में पूरा कराया जाए।



उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे विकास कार्य जो वरिष्ठ स्तर पर स्वीकृति या अन्य कारणों से लंबित हैं, उनकी अलग सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए वरिष्ठ स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जा सकें।

सांसद ने विशेष रूप से सांदीपनि श्योपुर एवं विजयपुर से संबंधित निर्माण कार्यों को आगामी दो माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने भी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश कलेक्टर शोला दाहिमा ने एनएच, पीएमजीएसवाय, आईईएस, स्वास्थ्य विभाग, पीआईड्यू और लोक निर्माण विभाग सहित पीएम जनमन के तहत संचालित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ कराने के लिए जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भूमिपूजन कराया जाए और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके लोकार्पण की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने 20 अगस्त से आयोजित होने वाले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा के संबंध में भी जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी।

125 दिन रोजगार की गारंटी वाली योजना की भी दी जानकारी

बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सोम्या आनंद ने वीवी-वी रामजी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 125 दिवस के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि योजना में चार प्रमुख श्रेणियों के तहत कुल 313 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं।

इनमें—

107 प्रकार के जल सुखा संबंधी कार्य
90 प्रकार के कोर रूबल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य
86 प्रकार के ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्य

35 प्रकार के आपदा राहत संबंधी कार्य शामिल किए गए हैं।

150 बेड का अस्पताल लगभग तैयार, एक माह में बिजली सहित शेष काम पूरा करने का दावा

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम प्रबंधक हेमंत रावत ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर निर्माणधीन 150 बेड का अस्पताल लगभग पूर्ण हो चुका है। भवन में 50

बेड की क्रिटिकल विंग और 100 बेड के जनरल वार्ड की सुविधाएं विकसित की गई हैं।

बताया गया कि अस्पताल से जुड़े बिजली सहित अन्य शेष कार्यों को लगभग एक माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही दोहरे में निर्माणाधीन 30 बिस्तरोंय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति की जानकारी भी बैठक में दी गई।

सड़क निर्माण पर करोड़ों का दांव

पीएमजीएसवाय के अधिकारियों ने बैठक में सड़क निर्माण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीएमजीएसवाय-4 और पीएम जनमन के तहत बड़ी संख्या में सड़कों की टेंडर प्रक्रिया भीपल स्तर पर चल रही है।

अधिकारियों के अनुसार—

पीएमजीएसवाय के तहत करीब 62 करोड़ 18 लाख 7 हजार रुपये की लागत से सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जबकि पीएम जनमन के तहत करीब 72 करोड़ 61 लाख 58 हजार रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी।

इस तरह ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों में करोड़ों रुपये की राशि खर्च की जानी है। सवाल सिर्फ सड़क बनाने का नहीं, गुणवत्ता और समयसीमा का भी

जिले में करोड़ों रुपये की लागत से सड़क और अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती इन कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने की होगी।

सड़क निर्माण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और कार्यों की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न सुझाव दिये।

बैठक का स्पष्ट संदेश यही रहा—स्वीकृतियां द्वारा 10 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर निर्माणधीन 150 बेड का अस्पताल लगभग पूर्ण हो चुका है। भवन में 50

पांच हजार के इनामी बदमाश आलमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर की धमाकेदार कार्रवाई

भिण्ड (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार वर्मा, एसपी प्रदीप पटेल के निर्देशन एवं लहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आलमपुर पुलिस ने तीन साल से फरार 5 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मां बराही देवी मन्दिर से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार आलमपुर थाने में फरियादी ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ बंदूक व लाठियों से जान से मारने की शिकायत दर्ज की कराई थी, जिसको देखते हुए आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पांच हजार का इनाम घोषित किया गया था। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फरारी इनामी बदमाश मां बराही देवी मन्दिर के पास खड़ा है, जिसे आलमपुर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में आलमपुर थाना प्रभारी सोहनीश तोमर, एसएसआई ओमकार सिंह तोमर, संतोष कुमार, भागवत सरिया, योगेन्द्र शर्मा, शैलेन्द्र शुक्ला, सिद्धांत कौरव, मंगल



सिंह, अनिल बघेल, कन्हैया लाल, हुकुम सिंह, अनुराग छत्री की सराहनीय भूमिका रही।

सड़क हादसों को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



भिण्ड (निज संवाददाता)। ग्वालियर-भिण्ड-इटवा हाईवे-719 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों और जिले में किसानों के सामने खड़े खाद संकट को लेकर भिण्ड महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शांति कुशवाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिला कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और इन दोनों गंभीर समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान एनएच-

719 की स्थिति और आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट कराया गया। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि हादसों पर दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) की तत्काल पहचान की जाए। साथ ही, आमजन की जान सुरक्षित रखने के लिए सड़क सुधार, दिशा-सूचक बोर्ड (संकेतक) लगाने और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम जल्द से जल्द किए

जाएं, ताकि हादसों के इस सिलसिले पर रोक लग सके। सड़क दुर्घटनाओं के अलावा जिले के अन्नदाताओं की पीड़ा को भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। वर्तमान में रबी की फसल की बुवाई के समय किसानों को खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन से मांग की गई है कि सोसायटियों पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए और वितरण प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी व सुचारु बनाया जाए।

इस अवसर पर शांति कुशवाह ने कहा कि आम जनता और किसानों की समस्याओं को लेकर महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जनता के हितों और किसानों के अधिकारों के लिए संगठन आगे भी पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाता रहेगा। ज्ञापन सौंपते समय महिला कांग्रेस की अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहें।

मेहदौली में हनुमान मन्दिर परिसर में धसी जमीन, निकली रहस्यमयी गुफा



मेहागंव (निज संवाददाता)। ग्राम मेहदौली क्षेत्र के प्रसिद्ध एवं प्राचीन खेरपति हनुमान मन्दिर परिसर में खोते सप्ताह अचानक जमीन धसने से एक रहस्यमयी गुफा नुमा गड्ढा सामने आया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में कौतूहल और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है।

दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

खबर फैलते ही आस-पास के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु इस अजूबे को देखने के लिए मन्दिर परिसर में एकत्र हो रहे हैं। आस्था और जनश्रुति का केन्द्र स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालु इसे भगवान हनुमान का अलौकिक चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। वहीं गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक ऐतिहासिक सुरंग है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं के अनुसार, बुजुर्गों का दावा है कि यह सुरंग पास के गांव सीताराम की लावन स्थित प्रसिद्ध सीताराम मन्दिर तक जाती है। पुरानी कथाओं और किंवदंतियों का हवाला देते हुए ग्रामीण आज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह वही प्राचीन गुप्त मार्ग हो सकती है, जिसकी चर्चा पूर्वज किया करते थे।

सुरक्षा को लेकर चिंता, प्रशासन से जांच की मांग फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से गुफा के अंदर कोई नहीं गया है। हालांकि, इस घटना से सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा पहलु भी सामने आया है। जिस स्थान पर जमीन धसी है, ठीक उसी के समीप श्रीराम जानकी मन्दिर की ऊंची दीवार स्थित है। गड्ढे के कारण मन्दिर की बुनियाद को खतरा होने की संभावना जताई जा रही है। गांव वालों ने स्थानीय



प्रशासन से तत्काल गुफा वाले स्थान को सुरक्षित (बैरकेडिंग) करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने शासन से गुहार लगाई है कि पुणतत्व विभाग और भू-वैज्ञानिकों की टीम को मौके पर भेजकर इसकी गहन जांच करवाई जाए, ताकि इस रहस्यमयी गुफा का ऐतिहासिक सच सामने आ सके और किसी भी संभावित हदसे को रोका जा सके।

भरौली थाने की कमान नवागत टीआई राय ने संभाली, चार्ज संभालते ही दिए कड़े संकेत

- दीपेन्द्र बोहरे -

भिण्ड। भरौली थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से नवागत थाना प्रभारी अभिषेक राय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही नवागत टीआई ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है।

पदभार ग्रहण करने के बाद टीआई अभिषेक राय ने थाने के समस्त स्टाफ के साथ बैठक की और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व संवेदनशील बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

नवागत टीआई की प्रमुख प्राथमिकताएं अपराध और अवैध धंधों पर नकेल: सट्टा, जुआ, अवैध शराब और अवैध उखनन जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ बिना किसी पछपात के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन के लिए खुले रहेंगे द्वार: थाने आने वाले प्रत्येक



फरियादी की बात को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी।

महिला व बाल सुरक्षा: महिला सुरक्षा और बाल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

गश्त व्यवस्था में कसावट: रात्रि गश्त और चेकिंग अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि आपाधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।



संगठन की मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है : अहिरवार

- कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित

भिण्ड (निज संवाददाता)। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा चौधरी प्रमोद गार्डन में विशाल कार्यक्रमों सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मप्र कांग्रेस कमेटी अजा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यमंत्री दर्जा प्रदीप अहिरवार ने कार्यक्रमताओं को वर्ष 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए तथा कांग्रेस की नीतियों एवं अजा समाज के अधिकारों और समाज की आवाज को मजबूती से उठाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर दलित समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अजा समाज के साथ-साथ पिछड़े एवं सर्वांग समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई भी मजबूती से लड़ती रहेगी । उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

अंतर विधायक हेमंत कटार ने कहा कि अनुसूचित जाति

समाज ने हमेशा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी समाज के अधिकार,समाना और समान अवसर के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें संगठन के माध्यम से मजबूती से उठाएं। सम्मेलन को अजा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भिण्ड दलित्वा प्रभारी कुलदीप मरैया, प्रदेश उपाध्यक्ष कुष्माण्णाल चौधरिया, शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया पिकी, अजा विभाग ग्रामीण जिलाध्यक्ष रूपसिंह खन्ना, नरोत्तम सिंह नरवरिया आदि ने संबोधित किया। संचालन अजा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भिण्ड-दलित्वा प्रभारी कुलदीप मरैया ने एवं आनंद शाक्य ने आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, अरविन्द यादव हेक्टरपुरा, बल्लिक अध्यक्ष अट्टर सुनील शर्मा सोनू, बलराम जाटव, सरोज वाल्मीकि, मायाशम जाटव, देवेन्द्र पाठक, सुमित त्रिवेदिया, आनंद शाक्य, छोपी खन्ना, डॉ. अमर सिंह जाटव, अभिषेक मौर्य, राजेन्द्र परिहार आदि मंचासीन रहे एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक कुशवाह ने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मुख्यमंत्री से की चर्चा



- मेडिकल कॉलेज, गौरी सरोवर के विकास एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया

भिण्ड (निज संवाददाता)। भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट कर क्षेत्रीय विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र की प्रगति, जन आकांक्षाओं एवं विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव एवं विचार साझा किए। प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से निरंतर प्रेरणा मिलती है।

विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भिण्ड के विकास, सरकारी योजनाओं को समाज की अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही मेडिकल कॉलेज एवं गौरी सरोवर के विकास के लिए तथा शहरी एवं ग्रामीण अंचल में अनेक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया। विधायक ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर आने वाले स्वागत को शुभकामनाएं दीं।

			उत्तर मध्य रेलवे		
No: JHS-DY-CEE-C-T-02-2026/NIT			Date: 18.08.2026		
ई-टेंडरिंग निविदा सूचना					
उप मुख्य विद्युत अभियन्ता (निर्माण), उत्तर मध्य रेल, झाँसी, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से निम्न लिखित कार्य हेतु एक पैकेट सिस्टम पर ऑन लाइन (E-Tendering) के माध्यम से खुली निविदा आमन्त्रित करते हैं। निविदा दिनांक 09.09.2026 को 11:00 बजे तक website http://www.ireps.gov.in पर ऑन लाइन जमा की जा सकती है। निविदा के विवरण निम्नानुसार है:-					
निविदा संख्या : E-Tender Notice No.-JHS-DY-CEE-C-T-02-2026					
कार्य का नाम : झाँसी-बीना परियोजना के अंतर्गत तीसरी लाइन के संबंध में अगासोद यार्ड एवं अगासोद-बीना खंड के शेष ओएचई कार्यों का निष्पादन।					
अनुमानित लागत : 37424587/-			धरोहर राशि : 748500/-		
कार्य पूर्ण होने की अवधि : 03 माह हार्वेस्ट एवं मानसून अवधि सहित					
निविदा खोलने का दिनांक : 09.09.2026			वैधता अवधि : 60 दिन		
नोट:- पूर्ण विवरण और निविदा जमा करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट http://www.ireps.gov.in देखें।					
1904/26 (PH)					
 North central railways		 @CPRONCR		 www.ncr.indianrailways.gov.in	

आवश्यक सूचना			
रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झाँसी मंडल के बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी खंड में आगासोद-बीना के मध्य तीसरी लाइन के निर्माण के संबंध में आगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन, रिशेड्यूलिंग एवं रेग्युलेशन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-			
रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण			
गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि	
64618	ललितपुर-बीना	27.09.2026 से 15.10.2026	
64617	बीना-ललितपुर	27.09.2026 से 15.10.2026	
12192	जबलपुर-हज़रत निज़ामुद्दीन	26.09.2026 से 14.10.2026	
12191	हज़रत निज़ामुद्दीन-जबलपुर	27.09.2026 से 15.10.2026	
05073	क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण बेंगलूर-लालकुर्छो	29.09.2026, 06.10.2026, 13.10.2026	
05074	लालकुर्छो-क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण बेंगलूर	26.09.2026, 03.10.2026, 10.10.2026	
22163	भोपाल-खजुराहो	15.10.2026	
22164	खजुराहो-भोपाल	15.10.2026	
रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन			
गाड़ी सं.	स्टेशन से- स्टेशन तक	वर्तमान मार्ग	परिवर्तित मार्ग
12627	क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण बेंगलूर -नई दिल्ली	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा
18237	कोरबा-अमृतसर	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा
12137	छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.)- फिरोजपुर कैंट	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा
12779	वास्को द गामा-हज़रत निज़ामुद्दीन	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-मथुरा	भोपाल-मक्सी-नगदा-मथुरा
12780	हज़रत निज़ामुद्दीन -वास्को द गामा	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल
12618	हज़रत निज़ामुद्दीन -एरणाकुलम	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल
12716	अमृतसर-हुज़ूर साहिब -नान्देड एरणाकुलम	मथुरा-वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी-बीना-भोपाल	मथुरा-नगदा-मक्सी-भोपाल
12617	हज़रत निज़ामुद्दीन	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-ग्वालियर	भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर
12621	डॉ एम.जी. रामचंद्रन चेन्नई-नई दिल्ली	भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-ग्वालियर	भोपाल-मक्सी-गुना-ग्वालियर
12919	डॉ. अम्बेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	मक्सी-संत हिरदामर नगर-बीना-ग्वालियर	मक्सी-रुठियाई-गुना-ग्वालियर
12622	नई दिल्ली-डॉ एम.जी. रामचंद्रन चेन्नई	ग्वालियर-बीना-भोपाल	ग्वालियर-गुना-मक्सी-भोपाल
22181	जबलपुर-हज़रत निज़ामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
12823	दुर्ग-हज़रत निज़ामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
18477	पुरी-योग नगरी ऋषिकेश	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
22407	अम्बिकापुर-हज़रत निज़ामुद्दीन	कटनी मुड़वारा-आगसोद-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	कटनी-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
12807	विशखपट्टणम-हज़रत निज़ामुद्दीन	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	इटारसी-जबलपुर-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
12707	तिरुपति-हज़रत निज़ामुद्दीन	जुझारपुर केबिन-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	जुझारपुर केबिन-जबलपुर-ओहन केबिन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी
12943	वलसाड-कानपुर सेंट्रल	इटारसी-भोपाल-बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल	इटारसी-जबलपुर-मानिकपुर-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल
22589	बनारस-हडपसर	बनारस-प्रयागराज-गोविन्दपुरी-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-इटारसी	बनारस-ब्लॉक हट के-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-जबलपुर-इटारसी
नोट:- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।			
उत्तर मध्य रेलवे			
©CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 1882/26 (A)			

